न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 217/2016 **दायरा दिनांक : 22.11.2016**

उनवान

1— पांचू लाल वल्द गोपाल, जाति मेघवाल, निवासी मन्दिर के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

1/1— गायत्री पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/2— रचना पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/3— सीमा पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/4— तमन्ना पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/5— माया पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/6— ज्योति पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/7— भारती पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/8— राधिका पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/9— सोना बाई बेवा छीतरलाल जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— नन्द किशोर वल्द जगन्नाथ, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

शांति बाई पत्नी बाबू लाल, जाति बागरी, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.06.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 13/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांटगण के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए पेश कर यह कथन किया कि अप्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 235/38 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से प्रार्थी के पक्ष में रास्ता कायम किया जाये, इस प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है और अप्रार्थीगण

के खाते की आराजी में से रास्ता कायम किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना, लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । पूर्व में रास्ता मौजूद है इस कारण अतः धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है । रिपोर्ट के समय अपीलांट को नहीं बुलाया गया, इस रास्ते से अपीलांट की सारी फसल नष्ट हो जाएगी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.11.2016 को हल्का पटवारी से हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है फिर भी धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम किया गया है । रिपोर्ट में कही भी यह अंकित नहीं है कि वैकल्पिक रास्ता नहीं है । लोक अदालत में अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2014 (1) पेज 140 उद्धरत की ।

7 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं । वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील विलम्ब से पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

8 अपीलांट ने अपील में आर्डर 41 नियम 27 का एक प्रार्थना पत्र पेश कर कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं । इन दस्तावेज में नकल जमाबंदी नया खाता संख्या 77, नकल जमाबंदी नया खाता संख्या 64 पेश की गई है और साथ ही नक्शाट्रेस की फोटो प्रति भी पेश की गई है । इनमें से दोनों नकल जमाबंदियां राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां हैं व प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः इन्हें रेकार्ड पर लिया जाता है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति नहीं होने के कारण उन्हें रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है । तद्नुसार प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर पेश की गई नकल जमाबंदियों को रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हैं ।

9 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

10 अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब एवं मौके पर लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अपीलांट

उपस्थित नहीं हुए हैं, सिर्फ वादी उपस्थित हुआ है और उसी दिन मौका रिपोर्ट लेकर निर्णय पारित किया गया है । मौका रिपोर्ट में कही भी यह अंकित नहीं है कि प्रार्थी के खेत पर पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदेही का अवसर भी प्रदान नहीं किया है और न ही मौका रिपोर्ट उसके समक्ष तैयार की गई है । धारा 251 ए के तहत नया रास्ता उन्हीं परिस्थितियों में कायम किया जा सकता है जब कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय सी पी सी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की है, जो त्रुटिपूर्ण है । आर आर टी 2014 (1) पेज 140 यहा चस्पा होती है ।

11 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 10 में किये गये विवेचन के अनुसार अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.08.2018 को उपस्थित होवें ।

12 निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा